मुद्रकः– श्रीगणेश,मावली

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली,उदयपुर

प्रार्थी ....श्रीमा कुंवर....... विपक्षी ...रामसिंह..................

किस्म मुकद्दमा ....वाद..........पत्रावली संख्या ...178/15.. सन् ....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	11/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयाँ मय स्वयं वादीयाँ अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीयाँ मय स्वयं वादीया को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीयाँ एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। वादीयाँ को वारिस कायमी हेतु लगभग 9 वर्ष का समय दिया जा चुका है परन्तु वादीया द्वारा इतने समय पश्चात भी वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीयाँ अपने वाद के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रही है। आज भी स्वयं वादीया एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीयाँ अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) • सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:31:54 IST
Reason: SelfAttested